



पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या - 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37.

मांग संख्या - 19, 79, 7, 50.

मांग संख्या - 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57, 30 एवं 80

से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	श्री ताम्रध्वज साहू	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	2 घंटे
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		37	पर्यटन	
2.	श्री टी.एस. सिंहदेव	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2 घंटे
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)	
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	
3.	श्री रविन्द्र चौबे	28	राज्य विधान मण्डल	2 घंटे
		13	कृषि	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		23	जल संसाधन विभाग	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के मार्च, 2023 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव
भाग - एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों
के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
 2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
 3. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
 4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
 5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
 6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
 7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
 8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
 9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
 10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
 11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
 12. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
 13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
-

मांग संख्या— 24

लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि

रूपये 35,84,09,04,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) हरदी हड़हामुहन से दहिदा होते हुये नावापारा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम किरीत से नवागढ़ सड़क निर्माण (नहरपारा में) का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खैरा से अमोरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर-चांपा विधान सभा के ग्राम हाथी टिकरा से बनारी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिवनी (नैला) से ग्राम पाली तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गौद से पीयमपुर तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) जांजगीर-चांपा विधान सभा के ग्राम चोरभट्टी से तेंदुआ सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दर्री से धनेली तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के जांजगीर से पीयमपुर ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (10) मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग स्थित नैला रेलवे स्टेशन में समपार क्र. 345 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (11) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दहिदा से ब्रम्हनीनडीह के मध्य हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) जांजगीर-चांपा जिला के नैला स्थित नहरिया बाबा मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) राज्य राजमार्ग व पुल-पुलियों के लिये बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (14) स्मार्ट सीटी योजना में पैसे की हो रही दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (15) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राजमार्ग व पुल-पुलियों के निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर शहर के मध्य सड़कों के निर्माण, मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) रायपुर शहर में नये बायपास रोड का प्रावधान नहीं है।
- (4) चंगोरा भाटा – भाटागांव – मठपुरेना, संतोषी नगर होकर जगदलपुर रोड NH तक नये सड़क का उल्लेख नहीं है।
- (5) स्काईवॉक को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के सड़कों के निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्चूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली विधान सभा में नवीन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मुंगेली विधान सभा में नवीन पुल-पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) मुंगेली विधान सभा के खराब एवं जर्जर सड़कों के मरम्मत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा बिल्हा के परसदा वार्ड क्र-09 यातायात नगर बिलासपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा बिल्हा की जर्जर सड़कों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
- (3) विधान सभा बिल्हा के मोहभट्टा (बिल्हा) फाटक पर रेल्वे ब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा बिल्हा के खजुरी-सांवतपुर मेन्ड्रा मार्ग मार्ग पर बामघाट के पास शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मंगला पा (माटियाशि) करही बाजार मार्ग शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) विकासखण्ड बिल्हा एवं पथरिया में ग्राम मोहदा मनियारी नदी के बीच बड़ा पुल निर्माण जिला मुंगेली एवं जिला बिलासपुर का कर्डर डेम का कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) विकासखण्ड पथरिया, जिला मुंगेली में भठली जोता मार्ग में ग्राम भठली में पुल/पुलिया निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में टीकौत पेण्डी एवं भण्डा के मध्य बगीचा तालाब के पास पुल/पुलिया निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा से लिमतारा सड़क के मरम्मत के लिये राशि कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा से बिलासपुर रोड के पुल के मरम्मत के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) सिमगा क्षेत्र की सड़को के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) भाटापारा के सिद्ध बाबा में ओवर ब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) अधोसंरचना मद में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (6) प्रदेश की जर्जर सड़कों के रख-रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम तौलीडीह साल्हेवना के रोड़ के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।
- (8) चांपा रेल्वे स्टेशन से दरभिठा तक के जर्जर सड़क का नवीनीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) अन्तराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिये राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) प्रदेश के सभी सड़कों के मरम्मत के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) भाटापारा के सड़कों के मरम्मत के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) भाटापारा से करही बाजार सड़क के मरम्मत के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) भाटापारा से टिकुलिया रोड़ के मरम्मत के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम – गुनापुर, तह. लोरमी, जिला – मुंगेली में पक्की सड़क निर्माण हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधान सभा के ग्राम बसहा सरगाडोढ़ी के बरभाठा सड़क मार्ग 1.80 कि.मी. निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधान सभा के ग्राम कोनी बिलासा ताल देवनगर से बिटकोना तक रोड निर्माण 3 कि.मी. का उल्लेख नहीं है।
- (3) बेलतरा विधान सभा के ग्राम लिम्हा, लिमतारा बगदेवा मार्ग 4 कि.मी. रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) बेलतरा विधान सभा के सेलर से कौवा ताल रोड निर्माण 4 कि.मी. के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) बेलतरा विधान सभा के ग्राम खैरा मुख्यमार्ग से लक्ष्मीनारायाण मंदिर यज्ञ स्थल खैराई पहुंच मार्ग 3 कि.मी. निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) बेलतरा विधान सभा के ग्राम मंजूर पहरी दहाईत पारा बंगला भाठा, किपरापारा, बिटकुली मार्ग 3 कि.मी. का कोई उल्लेख नहीं है।

- (7) बेलतरा विधान सभा के विवेकानंद नगर मोपका पहुंच मार्ग के 3.10 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (8) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नवांगांव, गिरजाबंद से नवापारा करीबस्ती मार्ग का निर्माण 2.60 कि.मी. का कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत सीस साव पारा से रमदेई पहुंच मार्ग 2 कि.मी. निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) बेलतरा विधान सभा के ग्राम कर्रा से रैनपुर मेनरोड पहुंच मार्ग का 4 कि.मी. निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) बेलतरा विधान सभा के ग्राम जाली से खुटाघाट मार्ग 4 कि.मी. निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बैमा स्कूल चौक के पास गौरव पथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मंगला लोधीपारा संस्करण कोनी मार्ग में अरपा नदी पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पौसरा में गौरव पथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) बेलतरा विधान सभा के ग्राम रामपुर सरगाड़ोढ़ी बरभाठा सड़क निर्माण कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
- (16) बेलतरा विधान सभा के प्रभास आवासीय विद्यालय से रमतला पहुंच मार्ग कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (17) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पौसरा में सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) बेलतरा विधान सभा के उच्चभट्टी में रामखिलावन सूर्यवंशी के घर से शिवकुमार गढ़वाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई में अनुसूचित जाति मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (20) बेलतरा विधान सभा के कर्रा ओव्हर ब्रिज से खुटाघाट पाठ बाबा तक रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (21) बेलतरा विधान सभा के गढ़वर से नेतला तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (22) बेलतरा विधान सभा के रानी गांव भर दैयाडीह होकर गांदईया तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (23) बेलतरा विधान सभा के रानी गांव से पेण्डरवा तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (24) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पौसरा मेन रोड से सूर्यवंशी मोहल्ला संभलताल पहुंच मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
- (25) बेलतरा विधान सभा के बिलासपुर रतनपुर फोरलेन से गुरुघासीदास विश्व विद्यालय पहुंच मार्ग रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (26) बेलतरा विधान सभा के मोपका तोरवा मुख्य मार्ग से शनिमंदिर चिल्हारी मार्ग तक रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

- (27) बेलतरा विधान सभा के गतौरी मेन रोड बरपाली से रमताला बाई पास तक रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (28) बेलतरा विधान सभा के रानीगांव मुख्य मार्ग से रानीगांव बस्ती तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (29) बेलतरा विधान सभा के कोनी मोपका बायपास मार्ग से कंकालीन देवी पहुंच मार्ग में रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (30) बेलतरा विधान सभा के सीपत बेलतरा मार्ग लंबाई 32.10 कि.मी. 1/4-6-7, कि.मी. 3/3 से 7,2 /6-7-10, 6/3 से 7,8/3-4-10, 7/3-4-10,9/3 से 10, 10/3 से 10 - 6 30 कि.मी. का मजबूतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (31) बेलतरा विधान सभा के गोदईया से कलमीटार मार्ग तक रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (32) बेलतरा विधान सभा के मंजूरपहरी दहाई तपारा, बगंलाभाठा, डिपरापार, बिठकुली मार्ग के रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (33) बेलतरा विधान सभा के करणा से पाण्डेपुर (भिल्मी तक) पहुंच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (34) बेलतरा विधान सभा के ग्राम रेनपुर से कर्रा पहुंच मार्ग में निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (35) बेलतरा विधान सभा के नेरसा से गढ़वर मार्ग तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (36) बेलतरा विधान सभा के सेंदरी बीज निगम से शमशान घाट पहुंच मार्ग के रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (37) बेलतरा विधान सभा के अशोक नगर से अनशाबंद मार्ग ल. 5.00 कि.मी. में मजबूतीकरण एवं डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (38) बेलतरा विधान सभा के जंजीराडीह पहुंच मार्ग लं. 300 कि.मी. का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (39) बेलतरा विधान सभा में बिलासपुर सीपत मार्ग के मदबूती करण एवं नवीनीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (40) बेलतरा विधान सभा के प्रभास आवासीय विद्यालय से रमतला पहुंच मार्ग कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (41) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पेण्डरवा से रानीगांव मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (42) बेलतरा विधान सभा के ग्राम गतौरी बप्पाली, रमतला मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (43) बेलतरा विधान सभा के ग्राम लोंफंदी अमतारा से गोरईयां मार्ग के निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (44) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत रानीगांव से झंझारडीह मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (45) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत गोदइमा से कम मीटर मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।

- (46) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से कंकालीधाम मंदिर मार्ग के निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (47) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैना तालाब व गोगला तालाब के पास नाला में पुल निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (48) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से बिरकोना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (49) बेलतरा विधान सभा के प्रभास आवासीय विद्यालय में रमतला पहुंच मार्ग कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (50) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पेण्डरवा से रानीगांव मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (51) बेलतरा विधान सभा के ग्राम गतौरी बप्पाली, रमतला मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (52) बेलतरा विधान सभा ग्राम लोफंदी अमतारा से गोरईयां मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (53) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत रानीगांव से झंझारडीह मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (54) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत गोदइमा से कलमीटार मार्ग निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (55) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से कंकालीधाम मंदिर मार्ग के निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (56) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैना तालाब व गोगला तालाब के पास नाला में पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (57) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से बिरकोना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (58) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैना तालाब व गोगला तालाब के पास नाला पर पुल निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (59) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत सीस साव पारा से रमदेई पहुंच मार्ग 3 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (60) बेलतरा विधान सभा के ग्राम जेवसा से गढ़ पर मार्ग 5 कि.मी. रोड निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (61) बेलतरा विधान सभा के ग्राम बसहा सरगाडोढी के बरभाठा सड़क मार्ग 1.80 कि.मी. निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (62) बेलतरा विधान सभा के ग्राम कोनी बिलासा ताल देवनगर से बिरकोना तक रोड निर्माण 3 कि.मी. का प्रावधान नहीं है।
- (63) बेलतरा विधान सभा के ग्राम लिम्हा, लिमतारा बगदेवा मार्ग 4 कि.मी. रोड निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (64) बेलतरा विधान सभा के सेलर से कौवाताल रोड निर्माण 4 कि.मी. के लिये प्रावधान नहीं है।

- (65) बेलतरा विधान सभा के ग्राम खैरा मुख्यमार्ग से लक्ष्मीनारायण मंदिर यज्ञ स्थल खैराई पहुंच मार्ग 3 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं है ।
- (66) बेलतरा विधान सभा के ग्राम मंजूर पहरी दहाईत पारा बंगला भाठा, किपरापारा, बिटकुली मार्ग 3 कि.मी. का कोई प्रावधान नहीं है ।
- (67) बेलतरा विधान सभा के विवेकानंद नगर मोपका पहुंच मार्ग के 3.10 कि.मी. निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।
- (68) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नवागांव, गिरजाबंद से नवापारा करीबस्ती मार्ग का निर्माण 2.60 कि.मी. का प्रावधान नहीं है ।
- (69) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत सीस साव पारा से रमदेई पहुंच मार्ग 2 कि. मी. निर्माण का प्रावधान नहीं है ।
- (70) बेलतरा विधान सभा के ग्राम फर्रा से रैनपुर मेन रोड पहुंच मार्ग का 4 कि.मी. निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।
- (71) बेलतरा विधान सभा के ग्राम जाली से खुंटाघाट मार्ग 4 कि.मी. निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (72) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मंगला लोधीपारा संस्करण कोनी मार्ग में अरपा नदी पर पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।
- (73) बेलतरा विधान सभा के ग्राम रामपुर सरगाडोढी बरभाठा सड़क निर्माण कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (74) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से बिरकोना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (75) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैना तालाब व गोगला तालाब के पास नाला में पुल निर्माण का प्रावधान नहीं है ।
- (76) बेलतरा विधान सभा के ग्राम नगोई से कंकालीधाम मंदिर मार्ग के निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है ।
- (77) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत गोदइया से कलमीटार मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (78) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत रानीगांव से झंझारडीह मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (79) बेलतरा विधान सभा के ग्राम लोफंदी ममतारा से गोरईयां मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (80) बेलतरा विधान सभा के ग्राम गतौरी बप्पाली, रमतला मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (81) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पेण्डरवा से रानीगांव मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (82) बेलतरा विधान सभा के बहतलाई वार्ड क्र. 49 गली नं. 4 में सी.सी. रोड व नाली निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

- (83) बेलतरा विधान सभा के कोनी वार्ड 68 पंचायत भवन से चटर्जी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (84) बेलतरा विधान सभा के मोपका वार्ड क्र. 50 सुन्दर के घर से सुदार्शन गुरुजी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) गागरा कण्डेल मार्ग में पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पीपरछेड़ी कण्डेल मार्ग में पीपरछेड़ी के पास पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) दोनर सेमरा (बी) मार्ग पर देवरी नाला पर पुल निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (4) कोलियारी, खरेंगा, दोनर, जोरातराई मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (5) नगर पंचायत आमदी में बायपास सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) पीपरछेड़ी से भाथली मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) पुरी से सरसोंपुरी का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) भिड़ावर से मुड़धोवा पहुंच मार्ग सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) उड़ेना से झिरिया मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) पर्यटन क्षेत्र गंगरेल पहुंच मार्ग हेतु अम्बेडकर चौक से चौड़ीकरण सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है।

10. श्रीमती इंदु बंजारे, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) पड़रिया मोड़ से सिंघलदीप पहुंच मार्ग को बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखण्ड पामगढ़ में खोखरी अटल चौक से नहर पार होते हुये तनौद पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) विकासखण्ड पामगढ़ में रिवापार से राहौद पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) विकासखण्ड पामगढ़ में भदरा से सिल्की पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) विकासखण्ड पामगढ़ में पकरिया से रिवापार तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) नेवराण्ड (पामगढ़) से नहर पार होते हुये पचरी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) विकासखण्ड पामगढ़ में गोड़ना से कांसा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) विकासखण्ड पामगढ़ में पनगांव से नहर पार होते हुये सेन्डरी तक सड़क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) शिवनीनारायण गिधौरी के मध्य महानदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) खरौद, कुकदा, सेमरा मार्ग में कंजी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (11) विकासखण्ड पामगढ़ राहौद, सलखन, सेमरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम खोरसी मडकड़ा –कटगी मार्ग में महानदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम डोगाकोहरौद, ससहा के अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण किया जाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) ग्राम रिवापार के सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (15) विकासखण्ड पामगढ़ में संत शिरोमणी कॉलेज नहरपुल से चण्डीपारा पुल तक नहर पार में पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) ग्राम पनगांव के अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विन्धानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मढ़ांकमुड़ा से झरिया बाहरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खपरी कला से मोहदी तक पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिनोधा से बिलाड़ी तक पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किरना मुख्यमार्ग से तरपोंगी तक सड़क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खपरीखुर्द से चांपा तक पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बड़े-बड़े सीमेंट उद्योग हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बाई पास मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चांपा से सतभावों तक पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) बलौदाबाजार विधान सभा के तिल्दा शहर में बाई पास रोड़ के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फोटा से सतभाव तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के तिल्दा मुख्यमार्ग से सरोरा सॉकरा तक पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) बलौदाबाजार विधान सभा के ग्राम लडधा से ताराशिव मार्ग का सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 67
लोक निर्माण कार्य - भवन

मतदेय राशि

रूपये 15,49,93,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 19

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र के नवागढ़ में नवीन विश्राम गृह निर्माण कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास बनाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों के जर्जर भवन के संधारण हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (4) वृहद निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राजधानी रायपुर की शासकीय आवासों के मेंटनेंस से संबंधित कार्यों में संलग्न S.D.O. सकब इंजीनियर एवं क्लर्क कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं स्थानांतरण किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की राजधानी रायपुर में मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास बनाने की किसी योजना का प्रावधान नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) वृहद निर्माण कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय कम है।
- (6) समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर घरोंदा योजना हेतु बजट में कम प्रावधान है।
- (7) मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि के लिए प्रावधान कम है।
- (8) वृहद निर्माण कार्य हेतु प्रावधानिक बजट में कमी है।
- (9) लोक निर्माण कार्यों हेतु बजट कम है।

- (10) मैदानी कार्यालय अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए भवन प्रावधानिक बजट कम है।
- (11) लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय कम है।
- (12) आवास पर पूंजी परिव्यय का प्रावधान बजट में कम है।
- (13) ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान के लिए भवन निर्माण प्रावधान अपर्याप्त है।
- (14) विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान के लिए भवन निर्माण हेतु बजट कम है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा अंतर्गत नवीन अग्निशमन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा बिल्हा अंतर्गत थाना भवनों में अतिरिक्त कक्ष एवं मरम्मत किये जाने हेतु प्रावधान नहीं है।
- (3) कैदियों को जेलों की क्षमता से अधिक रखा जा रहा है। प्रदेश की जेलों में नये सेल निर्माण की कोई भी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में लगभग दो दशक से पुरानी जेलों के लिये नवीन जेल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) बोदरी विकासखण्ड बिल्हा में नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम पासीद विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर में शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (7) ग्राम सरगांव विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर में शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (8) ग्राम चुनचुनिया विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम अण्डा विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम मुण्डादेवरी विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (11) ग्राम जोता पथरिया जिला मुंगेली में शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सिमगा में विशाल नगर भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) करही बाजार चौकी में पुलिस आवास का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) भाटापारा में विशाल सभागार निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) मोपका में कॉलेज भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) जेल भवनों का निर्माण के लिये राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) निपनिया में कॉलेज भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

- (7) जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) भाटापारा में शासकीय स्कूल भवनों की निम्नण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) सिकल सेल इंस्टीट्यूट नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) सड़क निर्माण से बेघर हो रहे लोगों को घर बनाकर देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) भाटापारा में सरकारी अस्पताल भवन निम्नण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) सिमगा में सरकारी अस्पताल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम कपिस्दा में हाई स्कूल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधान सभा के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जो भवनविहीन है उनके लिये भवन निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम तेलीनसत्ती में आरक्षित अर्जुनी थाना हेतु नवीन थाना भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) नगर पंचायत आमदी में आयुर्वेदिक भवन निर्माण बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पंचायत लगरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम पंचायत रिगनी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम पंचायत मिस्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) ग्राम पंचायत गोधना में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम पंचायत पामगढ़ उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम पंचायत हिरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम भिलौनी के हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के गोहरापदर में महाविद्यालय हेतु नवीन भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मतदेय राशि रूपये 8,36,75,88,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) प्रदेश के लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़कों एवं पुलों पर पुंजीगत व्यय की राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) लोक निर्माण विभाग में विदेशों से सहायता प्राप्त कर वृहद योजना संचालित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) सड़कों और पुलों पर पंजी परिव्यय में कटौती का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) सड़कों और पुलों पर परिव्यय में कटौती का उल्लेख नहीं है।
 - (3) सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रावधानिक बजट कम है।

मांग संख्या— 3

पुलिस

मतदेय राशि

रूपये 64,01,68,84,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 2

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए उचित नीति और राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के प्रत्येक थाना में महिला सेल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश को ड्रग्स के माफियाओं से मुक्ति दिलाने हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।
- (4) चिटफंड कंपनी द्वारा ठगी से प्रभावित लोगों की राशि शासकीय मद से आवंटन करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) पुलिस के साप्ताहिक अवकाश हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) पुलिस कल्याण हेतु समुचित राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) नगर सेना के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश से गायब हुई हजारों कन्याओं/महिलाओं को खोजने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (10) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (11) प्रदेश के पुलिस बल हेतु पर्याप्त आवास सुविधा हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (12) प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुलिस कर्मचारियों के वेतन भत्ता वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस विभाग में नियमित समबद्ध पदोन्नति नहीं है।
- (3) पुलिस कर्मचारियों से साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है।
- (4) पुलिस परिवारों के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था हेतु राशि नहीं है।
- (5) शहरों में यातायात प्रबंधन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) डॉक्टरों के लिए विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) वकीलों के लिए विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा कानून का उल्लेख नहीं है।
- (9) नक्सल पीड़ित गावों को एक-एक करोड़ की राशि का उल्लेख नहीं है।

- (10) नक्सल पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा का प्रावधान नहीं है।
- (11) नक्सल उन्मूलन के लिए राशि का प्रावधान नहीं है।
- (12) धर्मान्तरण पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (13) पुलिस वालों के द्वारा अवैध गांजा तस्करी, शराब पीकर वाहन चलाना, अवैध वसूली, अनैतिक कार्यों में संलिप्तता पाये जाने पर यथाशीघ्र विभागीय कार्यवाही कर कड़ी सजा कठोर सजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) राजधानी रायपुर की सड़कों पर बाइकर्स गैंग आम लोगों को समस्या उत्पन्न करती है। बाइकर्स पर रोक लगाने हेतु संसाधनों के बावजूद कार्यवाही कर जाने में योजना का प्रावधान नहीं है।
- (15) राजधानी रायपुर में आबादी को ध्यान में रखते हुये 15 अगस्त एवं 26 जनवरी में होने वाले आयोजनों के लिये नई पुलिस परेड ग्राउन्ड की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (16) पुलिस थानों में ड्यूटी के समय नशे का प्रयोग किया जाता है जिसे रोकने के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (17) राजधानी रायपुर में पुलिस के वाहनों फॉलो पायलट के वाहन चालक अंधाधुंध गति से वाहन चलाते हैं, उनकी गाईडलाईन, मॉनिटरिंग, रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं है।
- (18) पुलिस लाईन रायपुर में आम खिलाड़ियों, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने वाले युवाओं के लिये कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
- (19) प्रत्येक तहसीलों में होने वाले वित्तीय फ्रॉड (ऑनलाइन फ्रॉड) की रोकथाम एवं त्वरित निराकरण के लिये साईबर थाने खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (20) प्रत्येक तहसील में महिला थाना खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (21) प्रदेश के प्रत्येक जिलों में साईबर काईम को रोकने हेतु साईबर थाना एवं मामलों की निपटान हेतु साईबर कोर्ट खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (22) राजधानी रायपुर एवं मंत्रालय के आसपास रिक्त शासकीय आवासों में नियमानुसार शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों की शासकीय आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (23) पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दर्ज एफ.आई.आर. पर तत्काल कार्यवाही किया जाने का प्रावधान नहीं है।
- (24) पुलिस कल्याण की कोई योजना नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

पुलिस कर्मियों के विशेष भत्तों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।



5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मानव तस्करी रोकने हेतु कारगर कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन पुलिस स्कूल खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में संचालित आनलाईन सट्टे के अवैध कारोबार को रोकने हेतु सेल गठन का प्रावधान नहीं है।
- (4) पुलिस परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक अनुदान प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश की महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विकासखण्ड में महिला थाना की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) पुलिस आरक्षकों का ग्रेड पे-लेवल में वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सेल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) पुलिस कल्याण योजना हेतु राशि का पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुलिस के सभी थानों में महिला सेल का गठन नहीं किया गया है।
- (2) मानव तस्करी रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) नक्सल इलाकों में फर्जी मुठभेड़ समाप्त करने का उपायों का प्रावधान नहीं है।
- (4) पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे 2800 करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) पुलिस विभाग में लम्बे समय से लंबित पदोन्नति शीघ्र देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) महिला उत्पीड़न रोकने प्रभावी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) सभी पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) पुलिस कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा किराया भत्ता को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) नगर सैनिकों के वेतन भत्ता बढ़ाने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (10) नक्सल हमले में शहिद होने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।
- (11) साईकल भत्ता के स्थान पर पेट्रोल भत्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (12) महिलाओं के लिये अलग थाना की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (13) प्रदेश में सूखा नशा रोकने की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम – चिल्फी, थाना – चिल्फी, जिला – मुंगेली में नवीन थाना भवन निर्माण का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नशीली दवाइयों की खुले आय बिक्री एवं तस्करी को रोकने बजट में कोई प्रावधान नहीं है।



8. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम रायपुरा में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चिटफंड कंपनी द्वारा ठगी के शिकार हुये लोगों की राशि वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस आवास, पुलिस को आधुनिक साज-सज्जा जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट आदि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नगर पंचायत आभदी में नये पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) छाती में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत ससहा में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के प्रमुख पुलिस मैदानों को सुव्यवस्थित रखने एवं खिलाड़ियों हेतु आवश्यक सुविधाओं को बटाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) महिला उत्पीड़न रोकने प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश को ड्रग्स माफियाओं से मुक्ति दिलाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) गंभीर आरोपियों को पकड़ने की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) पुलिस कल्याण योजना हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) पुलिस हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु अत्याधिक राशि प्रदान संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सेल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश को गृह विभाग की सायबर क्राईम शाखा को नियमानुसार पदोन्नति समयमान वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रत्येक थानों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बैठने आदि के सुविधाओं को बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) सायबर क्राईम शाखा में कर्मचारियों को शीघ्रतिशीघ्र न्याय दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,16,92,56,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 2

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
राजधानी रायपुर में शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के लिये कोई आवासीय योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
राज्य मुख्यालय अग्निशामक एवं आपात कालीन सेवाओं के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) अनुग्रह राशि में वृद्धि हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) अग्निशामन एवं आपात कालीन सेवाओं के अंतर्गत नवीन केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) प्रदेश से गायब युवतियों को खोजने तथा वापस लाने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
 - (2) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को बीमा कव्हर का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (3) चिटफंड कंपनियों के शिकार लोगों को राशि लौटाने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (4) नहीं है।
 - (5) नवीन पुलिस चौकी/थाना हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (6) नक्सली समस्या के उन्मुलन हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (7) नागरिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 5

जेल

मतदेय राशि

रूपये 2,20,80,36,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राज्य में जेलों की व्यवस्था सुधारने हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जेलों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश की जेलों के आधुनिकीकरण हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) बंदियों के कौशल उन्नयन हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जेलों को अपग्रेट करने पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) लगातार हो रहे कैदियों के मृत्यु को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश की जेलों में कैद कैदियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुये सामान्य सामाजिक जीवन जीने हेतु प्रशिक्षित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश की प्रत्येक तहसीलों में महिला थाना, साईबर सेल एवं फास्ट्रेक कोर्ट खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जेल विभाग के संबंध में प्रावधानिक बजट कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में जेल प्रहरियों, अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कैदियों को बड़ी बीमारियों के उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश की जेलों में कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि व योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश की उपजेलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा में निर्माणाधीन उप जेल को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के सिमगा में उप जेल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के जेलों का भवन निर्माण तथा जीर्णोधार का उल्लेख नहीं है।
- (4) जेल मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं कार्यालीन व्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जेलो में सेटअप अनुसार भर्ती करने तथा पदोन्नति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की जेलों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश की जेलों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) कैदियों को बड़ी बीमारियों के उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) जेल प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मतदेय राशि

रूपये 45,08,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को उचित मानदेय देने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
 - (3) प्रदेश में ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
 - (4) प्रदेश में तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों के देखभाल हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
 - (5) प्रदेश के तीर्थ स्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के धार्मिक स्थलों के रख-रखाव, धर्मालंबियों की सुविधाओं का विस्तार किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विधान सभा के धार्मिक महत्व के स्थानों का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धार्मिक सेवाओं हेतु अदायगियों का कोई उल्लेख नहीं है।
5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) ग्राम धौराभाठा विकास खण्ड बिल्हा, बिलासपुर स्थित बुलकेश्वर मंदिर में मंगल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) ग्राम मंगला, विकास खण्ड बिल्हा, जिला — बिलासपुर स्थित चतुर्भुज मंदिर में रंग मंच एवं मंगल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (3) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र स्थित प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (4) तीर्थ योजना को प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) भाटापारा और सिमगा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) भाटापारा मावली माता मंदिर को प्रदेशिक धार्मिक स्थल में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।



7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दुर्जन क्षेत्र के प्राचीन गांधी मंदिर ग्राम ग्रटियारा के जीर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कोडेगांव रैयत में मनकेशरी मंदिर में आहता निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) नागेश्वर महादेव मंदिर हटकेशर वार्ड धमतरी के जीर्णोद्धार का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) नहीं है।
- (5) रुद्रेश्वर महादेव मंदिर रूद्री के जिर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को मानदेय प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार मावली मंदिर के प्रादेशिक धार्मिक स्थल में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को मानदेय प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 37

पर्यटन

मतदेय राशि

रूपये 1,59,40,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राम वन पथ गमन योजना हेतु पर्याप्त राशि एवं कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बाहर के राज्यों से आने वाले पर्यटकों हेतु पर्याप्त सुविधा प्रदान करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पर्यटन हॉटल मोटल के विकास के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) पर्यटन विकास हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (3) राम गमन पथ में व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के पर्यटन स्थलों को विकसित कर प्रदेश के नागरिकों को सस्ते एवं शुलभ पर्यटन केन्द्र देने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पर्यटन स्थलों के विज्ञापन एवं प्रचार के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मदकूदीप पर्यटन के विकास व विस्तार हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ताला को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित व विकास हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) पर्यटन स्थलों को सुगम बनाने हेतु कारगर कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।



5. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खारंग जलाशय को पर्यटन के रूप में विकासीत करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्राचीन डोंगेश्वर धाम देवपुर को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राचीन गांधी मंदिर ग्राम सटियारा को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव घाट को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) नहीं है।
- (5) गंगरेल में पर्यटन सुविधा के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा के पर्यटन क्षेत्रों के समुचित विकास की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा के सोमनाथ लखना को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा के ग्राम सोनाडीह के शिगाक्षधन पाठ को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 32,07,70,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 16

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले में शासकीय होम्योपैथी औषधालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला चिकित्सालय जांजगीर को 200 बिस्तर का अस्पताल बनाने तथा डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम-धारशिव (रोशदा) में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) जिला हॉस्पिटल जांजगीर में महिला विशेषज्ञ चिकित्सक के भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) नौकरी से निकाले गये कोरोना स्वास्थ्यकर्मियों को पुनः नियुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) आमजन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) टिकरापारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (2) खो-खो पारा हॉस्पिटल का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (3) सभी जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) 1000 चिकित्सकों की अधिकतम वेतनमान पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) बस्तर, सरगुजा, सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) नर्सिंग होम एक्ट के पुनरीक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) 4000 ए.एन.एम व 3000 स्टॉफ नर्स की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के लिए कोई योजना नहीं है।
- (9) उच्च श्रेणी के चिकित्सकों की भर्ती हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) कोविड-काल में कोविड-19 से मृत परिवारों को सहायता किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्टॉफ की कमी की पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) सिकलसेल ईलाज के लिए निःशुल्क सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।



3. श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मुंगेली विधानसभा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) मुंगेली विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) मुंगेली विधानसभा के चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मुंगेली जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) मुंगेली जिला चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) स्वास्थ्य, मितानिन योजना हेतु अनुदान राशि की कमी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के लिये राशि का प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं के लिये उल्लेख नहीं है।
- (4) नर्सिंग को बुनियादी पाठ्यक्रम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम-जोता विकासखण्ड पथरिया-जिला मुंगेली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा बिल्हा में ब्लड बैंक खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रामा सेन्टर खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा विधानसभा के भाटापारा में 100 बिस्तर का अस्पताल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) स्वास्थ्य कर्मियों के वेतनमान में वृद्धि का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) अस्पताल एवं औषधालय हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) भाटापारा विधानसभा के सिमगा में 50 बिस्तर अस्पताल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में पैरा मेडिकल स्टॉफ की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) नकली दवाईयों पर प्रतिबंध हेतु बजट में योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) कैंसर के उपचार के लिए नवीन कैंसर यूनिट स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

- (9) यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना प्रारंभ करने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) पोस्ट मार्टम चिकित्सकों की भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उपयोजना के अंतर्गत हॉस्पिटल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत संविदा चिकित्सकों की नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) पोस्टमार्टम के लिये चिकित्सकों की मानदेय राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम-फुलवारी एफ, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम-डवेरहा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम-करनौद में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम-कांशीगढ़ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम-मलनी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम-तुषार में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम-बंसतपुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम-दतौद में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम-झालरौदा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम-जवै में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम-बड़े रवेली में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम-डपेरघटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम-करौवाडीह में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम-कचंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) ग्राम-छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनीडीह में 30 बिस्तर को बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

- (16) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालखरौदा में 30 बिस्तर को बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजैपुर में 30 बिस्तर को बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलाडोंगरी में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरा में सोनोग्राफी, एक्स-रे, सिटी स्कैन सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम-पंचायत कसावहीं में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) ग्राम-पंचायत आमदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24 घण्टे प्रतिदिन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) ग्राम-पंचायत आमदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) धमतरी जिला के मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चयनित कर प्रारंभ करने कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कण्डेल में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरेंगा में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम-रांवा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) नगर पंचायत आमदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

देवभोग में शामिल अस्पताल का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम-कटौद के उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) राहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।



- (3) बलौदा बाजार विधानसभा अंतर्गत नगर पालिका तिल्दा में पोस्टमार्टम हेतु चीरघर बनाने हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के जिला चिकित्सालय, बलौदा बाजार में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) बलौदा बाजार विधानसभा में एम्बुलेस प्रदान करने हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) जनता को निजी अस्पतालों में ईलाज हेतु आयुष्मान योजना/स्मार्ट कार्ड योजना डॉ. खुबचंद बघेल योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) लोक स्वास्थ्य प्रयोग शालाओं हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज स्थापना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रदेश में कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के वेतन विसंगति दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधान सभा के ग्रामों में उपस्वास्थ्य केन्द्रों के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 15,74,48,03,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 16

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर में नर्सिंग कॉलेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कब तक आरंभ की जावेगी कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण अनुसंधान के बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सिम्स मेडिकल के नवीन भवन हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना में राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश में असंगठित सफाई कार्यकर उत्थान का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 3,35,76,63,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 5

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) करो की चोरी रोकने हेतु विशेष कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (3) राज्य वस्तु एवं सेवा कर कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पेट्रोल डीजल में वैट टेक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) करो की चोरी रोकने हेतु विशेष कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,13,15,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) बीस सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) वृहद निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अन्य आकस्मिक मजदूरी के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संचालन हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) बीस सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) जिला स्थापना हेतु राशि एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 28
राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि

रूपये 79,88,47,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 47

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
संसदीय कार्य विभाग के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
जनप्रतिनिधियों का जिलों में अधिकारी द्वारा प्रोटोकाल का पालन कड़ाई से कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) संसदीय कार्य विभाग हेतु पर्याप्त मात्रा में राशि प्रदाय नहीं की गई है।
 - (2) प्रदेश में संसदीय शिक्षा हेतु प्रयास का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 13

कृषि

मतदेय राशि

रूपये 53,54,96,13,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अर्थिक सहायता हेतु प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) नकली खाद-बीज बेचने वालों पर कार्यवाही हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) कृषि महाविद्यालय, जांजगीर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (6) जांजगीर-चम्पा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) जांजगीर-चम्पा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौर ऊर्जा अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ बंजर भूमि पर उद्यानिकी प्रोजेक्ट के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) उद्यानिकी नीति नहीं है।
- (3) मधुमक्खी पालन के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (4) हर जिले में प्लक टाईप सीड डिल स्थापित करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) वानिकी-उद्यानिकी अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) किसानों को उद्योगों से जोड़ने कार्ययोजना का राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) भू-जल वृद्धि हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (8) मण्डी समितियों का चुनाव का उल्लेख नहीं है।
- (9) कृषि शिक्षा विषय स्कूलों में लागू होने का उल्लेख नहीं है।
- (10) किसान बीमा का प्रावधान नहीं है।
- (11) कृषि अनुसंधान एवं विस्तार के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं है।
- (12) सामुदायिक कृषि के लिए कोई राशि का उल्लेख नहीं है।
- (13) किसान दुर्घटना बीमा के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।
- (14) उच्च नस्ल की गाय सहकारी समितियों में उपलब्ध कराने कोई राशि का प्रावधान नहीं है।

- (15) रायपुर पंडरी में किसान एंग्री माल का उल्लेख नहीं है।
- (16) मण्डी के उन्नयन हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (17) मण्डी शुल्क समाप्त का प्रावधान नहीं है।
- (18) किसान सेवा केन्द्र के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (19) परम्परागत कृषि योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (20) जैविक कृषि के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (21) कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।
- (22) कृषि रकबा बढ़ाने पर्याप्त राशि नहीं है।
- (23) किसान आयोग का गठन का उल्लेख नहीं है।
- (24) आत्महत्या पीड़ित किसान परिवारों को मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
- (25) प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके इस हेतु फूड पार्क, प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाऊस निर्माण किया जाने का प्रावधान नहीं है।
- (26) रायपुर में किसानों हेतु किसान विश्राम गृह बनाने हेतु उल्लेख नहीं है।
- (27) फसल चक्र परिवर्तन हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (28) किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (29) रबी फसल, धान की खराबी के लिए कार्ययोजना नहीं है।
- (30) 2 साल का धान का बकाया का उल्लेख नहीं है।
- (31) तीन साल से धान के बढ़े एम.एस.पी. का लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (32) फसल उत्पादन वृद्धि हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।
- (33) नकली खाद बीज पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान नहीं है।
- (34) फूलवारी योजना में पर्याप्त राशि नहीं है।
- (35) शाकम्भरी योजना के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।
- (36) किसानों के स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।
- (37) किसानों के दीर्घकालीन, मध्यकालीन कृषि की माफी का उल्लेख नहीं है।
- (38) किसान पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।
- (39) किसानों की मृत्यु होने पर 50-50 लाख मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
- (40) किसान मेला आयोजन हेतु पंडरी में मेलास्थल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (41) किसानों को न्यूनतम दर पर खाद-बीज-किटनासक देने का कोई उल्लेख नहीं है।



3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कृषकों के लाभ में वृद्धि किये जाने संबंधी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता कर कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) डिफॉल्टर किसानों के ऋण माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) उन्नत कृषि को बढ़ावा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता के लिए प्रावधान पर्याप्त नहीं है।
- (2) पशु पालन पर पूँजी परिव्यय का प्रावधान नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सहकारी समिति के माध्यम से ही पर्याप्त खाद्य और उर्वरक प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) खाद व बीज माफिया जो नकली उत्पाद को बेचते हैं उनकी रोक हेतु कोई उल्लेख नहीं है। नहीं है।
- (4) प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में बंजर भूमि पर उद्यानिकी प्रोजेक्ट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों का पूर्ण कर्जमाफी नहीं किया गया है, कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कृषि औद्योगिक निगम का गठन का प्रावधान नहीं है।
- (3) परंपरागत कृषि विकास आयोग के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं है।
- (4) आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को सहायता राशि देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) किसानों द्वारा सेठ-सहूकारों से ऋण लेने से रोकने के लिये योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (7) जैवक कृषि हेतु प्रोत्साहन की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) कृषि यंत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के लिये कड़े कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) मृदा परीक्षण और उर्वर क्षमता परीक्षण वृद्धि के लिये उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (10) उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु कानून का क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (11) सभी विकासखण्डों में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है।

- (12) नकली और अप्रमाणित बीज बेचने वालों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) कृषि क्षेत्र में शिक्षा और जागरूकता हेतु योजना निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) खरीफ और रबी फसलों के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधा का प्रावधान नहीं है।
- (15) किसानों हेतु नवीन बीमा योजना का प्रावधान नहीं है।
- (16) फलदारी पौधा रोपण हेतु पर्याप्त राशि/अनुदान का उल्लेख नहीं है।
- (17) नवीन वानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं है।
- (18) कृषकों के समग्र विकास के लिये योजना में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (19) प्रदेश की सभी महिलाओं के लिये फल तथा सब्जी संरक्षण के परीक्षण केन्द्र के स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (20) 2800 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (21) धमतरी जिले की मण्डियों में वनोपज खरीदी प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (22) किसानों को दो वर्षों के बकाया (2017-18, 2018-19) बोनस देने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) इस वर्ष की खरीफ फसल हेतु पंजीकृत किसानों व टोकन कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाये किसानों को अतिरिक्त समय देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) धान का दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के रबी फसल की धान खरीदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) शाकम्भरी योजना के लिये पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) बलौदा बाजार विधान सभा के सभी ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदा बाजार विधान सभा के अंतर्गत ग्रामों में लघु एवं सीमांत कृषकों का सिंचित रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए (मुख्यालय) निवास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) बलौदा बाजार नगर में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।



मांग संख्या— 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 5,26,83,57,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 35

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) मोबाईल पशु चिकित्सा यूनिट चलाये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
 - (2) जांजगरी –चांपा वि.स. क्षेत्र के ग्राम धुरकोट, सिवनी, खोखरा, सेमरा, हरदी महंत अमोरा में पशु चिकित्सालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
 - (3) प्रदेश में पशु तस्करी रोकने व तस्करों पर कठोर कार्यवाही हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
 - (4) गौशालाओं में गायों की उचित देखरेख का उल्लेख नहीं है।
 - (5) कुक्कुट विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कामधेनु सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) पशु पालन पर पूंजी पर व्यय कम है।
 - (3) पशु पालन पर पूंजी परिव्यय का प्रावधान कम है।
 - (4) पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान नहीं है।
4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) लावारिश मवेशियों के संबंध में कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) ग्राम परसदा में पशु औषधालय खोलने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
 - (3) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
 - (4) मोबाईल पशु चिकित्सा ईकाईयों की स्थापना प्रत्येक जिलों में करने का प्रावधान नहीं है।



5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा और सिमगा में पशु औषधालय के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
- (2) पशुधन तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) चरवाहा समुदायों को रोजगार देने की योग्यता का प्रावधान नहीं है।
- (4) दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) लावारिश पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) पशु प्रजनन क्षेत्र विकसित करने का प्रावधान नहीं है।
- (8) बलौदाबाजार – भाटापारा में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (9) पशु धन मित्र योजना हेतु पर्याप्त बजट आबंटन का उल्लेख नहीं है।
- (10) पशु संबंधित रोगों के उपचार और अनुसंधान की योजना का विस्तार का प्रावधान नहीं है।
- (11) सभी विकासखण्डों में पशु वेटेनरी यूनिट की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (12) प्रदेश के गौ-शालाओं को अनुदान देने और विस्तार करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (13) प्रत्येक जिले में दुग्ध संघ का गठन करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गौसेवकों का मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधान सभा के ग्राम मटियारी में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.


पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के गौ सेवकों की वेतन वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा में कुक्कुट विकास हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा में मुर्गी पालन विकास की योजना हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा के प्रोत्साहित कृषकों को उन्नत पशुपालन करने के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।

- 
- (4) बलौदाबाजार विधान सभा के ग्राम खण्डवा में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
 - (5) बलौदाबाजार नगर में लावारिस मवेशियों के लिए कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (6) बलौदाबाजार सीमा के ग्राम अर्जुनी में नवीन पशु औषधालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (7) बलौदाबाजार विधान सभा में मोबाईल पशु चिकित्सा ईकाइयों की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।



मांग संख्या— 16

मछली पालन

मतदेय राशि

रूपये 93,22,51,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 36

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) मछली पालन के प्रसार हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) प्रदेश में मछली पालन को हाईटेक प्रशिक्षण देने का उल्लेख नहीं है।
 - (3) मछुआरे के कल्याण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) समूहों के मछली पालन के लिए कोई राशि नहीं है।
 - (2) मत्स्य पालन को बढ़ावा देने कोई योजना व पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) जलाशयों के माध्यम से मत्स्य उद्योग के विकास व संवर्धन हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
 - (2) मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण देने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) मछली पालकों मछुवारों को प्रशिक्षण देने की पर्याप्त सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) जलाशयों में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
 - (3) भाटापारा में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (4) मछुवारों को प्रशिक्षण का विस्तार हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
 - (5) मछली बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु विस्तृत योजना का उल्लेख नहीं है।
 - (6) मछली उत्पादन के साथ लोकल मार्केट तैयार करने का उल्लेख नहीं है।
 - (7) मछुवारा समितियों की संस्थाओं को लाभ में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
5. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण देने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) मछली पालकों को उन्नत बीज व जाल देने का उल्लेख नहीं है।



6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी में मत्स्य महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा में मछली पालन के लिए कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा में मछली पालन हेतु प्रसार के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार के जलाशयों में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (4) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 3,15,09,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कृषि अनुसंधान को उन्नत बनने हेतु कार्ययोजना एवं राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कृषि वैज्ञानिकों को एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान नहीं है।
- (2) भू और जल संरक्षण का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (3) भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम हथनी में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा उपरांत राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पथरिया जिला मुंगेली में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (2) भाटापारा कृषि एवं अनुसंधान केन्द्र के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
- (3) कृषि वैज्ञानिकी को अनुसंधान में बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं है।
- (4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये बजट का प्रावधान नहीं है।
- (5) कृषि हेतु नवीन यंत्रों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 23
जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 12,54,02,69,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) वृहद सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अमोरा, धुरिया, खैरा, खोखसा, बसंतपुर में स्टाप डेम बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) सिंचाई क्षेत्र दोगुना करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में जल संसाधन नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) नदियों को जोड़ने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सिंचाई एवं लिफ्ट इरीगेशन हेतु विद्युत/संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) नदी-नालों-तालाबों को पुनर्जीवित करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) नहरों का कांक्र्रीटीकरण के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (4) जल उपभोक्ता संघों का चुनाव कराये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (5) जल संसाधन विभाग को पर्याप्त बजट का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) जल संसाधन नीति नहीं है।
- (7) टपक सिंचाई योजना के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) भू-जल प्रदूषण को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (9) नहरों में कांक्र्रीटीकरण के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नदियों के कटाव को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) बिल्हा ब्लॉक में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की योजना का उल्लेख नहीं है।



- (3) रामबोड जलाशय के गहरी करण किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (4) अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) बोधघाट परियोजना के संबंध में उल्लेख व राशि का प्रावधान नहीं है।
- (6) कोई भी नवीन बांध बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) जर्जर एनीकेट/ बैराज के मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (2) भटापारा और सिमगा के छोटे नालों में चेकडेम बनने का प्रावधान नहीं है।
- (3) वृहद सिंचाई योजना के लिये राशि प्रावधान नहीं है।
- (4) सिंचाई क्षमता दोगुनी करने हेतु कार्य योजना का प्रावधान नहीं है।
- (5) अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) हसदेव बांगो परियोजना हेतु पर्याप्त बजट का कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) नदियों के कटाव को रोकने के लिए कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) भाटापारा शाखा नहरों के लाईनिंग का व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
- (9) बोधघाट परियोजना हेतु बजट का प्रावधान नहीं है।
- (10) नवीन जल संसाधन नीति को क्रियान्वयन करने की योजना का प्रावधान नहीं है।
- (11) वर्षा जल प्रबंधन हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (12) नवीन तालाब / जलाशयों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम उरईकदार, तहसील- लोरमी, जिला - मुगेली में मनियारी नदी में स्टाप डेम निर्माण का बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम घानाघाट, तहसील- लोरमी, जिला - मुगेली में मनियारी नदी में एनीकट निर्माण का बजट में प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम खुड़िया, तहसील- लोरमी, जिला - मुगेली को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा देने प्रावधान नहीं है।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उड़लम से नहर रोड़ कुरैहापारा तक निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के खारंग जलाशय के असिंचित क्षेत्र बेलतरा , धाभम, टेकर, नेवसा, गिधौरी, भिन्सी, भड़ी, अकलतरा, गढ़वरा ग्रामों का लिफ्ट सिंचाई से इन ग्रामों को सिंचित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) अहरिन नदी से खरंग जलाशय में पाईप लाईन द्वारा पानी लाने का प्रावधान नहीं है।

- (4) बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत भोहरा एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (5) भोलनाडीह से मस्तूरी तक बाईटट नहर के चेक क्रमांक 0 से 1362 तक सर्विस बैंक का बी. टी मरममत कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) बेलतरा विधानसभा की लफंदी व लच्छनपुर में एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (7) अकलरी जलाशय के नहर रिमाडलिंग व लैपनिग कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (8) खरंग जलाशय के बी. डेम के नीचे सौन्दर्यीकरण, गार्डन व पार्किंग का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) बेलतरा विधानसभा के एनीकट में बने पहुंच मार्ग के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (10) बेलतरा विधानसभा के असिंचित क्षेत्र बेलतरा बाम्हु, टेकर, नेपसा, गिधौरी मिल्ली आड़ी अकलतरा गढ़कर आदि ग्रामों के लिफ्ट सिंचाई करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) अरिहन नदी से खारंग जलाशय में पाईप लाईन द्वारा पानी लाने का प्रावधान नहीं है।
- (12) नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भोथली में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) धमतरी नगरी मार्ग 5/5 महानदी केनाल में वृहद पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) लिफ्ट एरीगेशन लिमतर से ग्राम रायगुड़ा में सिंचाई सुविधा के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा में नहरों को पक्का करने हेतु बजट कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा में नवीन जल संसाधन नीति का क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा के छोटे-छोटे नालों में चेकडेम बनाने का प्रावधान नहीं है।
- (4) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत तिल्दा विकास खण्ड के कुम्हारी जलाशय से केनाल नाली के विस्तार का प्रावधान नहीं है।
- (5) बलौदाबाजार विधान सभा में सिंचित क्षेत्र को दोगुना करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में नदियों के किनारे कटाव को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में जलसंसाधन संबंधी नवीन कार्य योजना का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या- 45
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि

रूपये 8,41,84,33,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक -31

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) जांजगीर चांपा विधान सभा अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाओं हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) प्रदेश के जलाशयों के गहरीकरण एवं नहर मरम्मत कार्य हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
 - (3) माइको माईनर सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधिक बजट कम है।
2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाओं हेतु बजट को कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय का प्रावधान नहीं है।
3. श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लघु सिंचाई योजना हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) अरपा भैंसाझार योजना के पूर्ण किये जाने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) लघु सिंचाई योजना का निर्माण तथा पुनरुद्धार हेतु राशि बहुत कम है।
 - (3) भाटापारा तथा सिमगा में लघु सिंचाई हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
5. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पोस्ट कोसा के ग्राम छेडोकिया बांध में एनीकट निर्माणों एवं बोरसी तक राल नदी का फर्सीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधान सभा में सतही जल हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधान सभा के कोटका कोटा नाले का जीर्णोद्धार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मतदेय राशि रूपये 6,14,71,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कोई कार्ययोजना एवं राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय कम है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा क्षेत्र में नाबार्ड से सिंचाई हेतु किसी नवीन परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नाबार्ड से सहायता प्राप्त जलाशयों के विकास हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

(3) कोडार जलाशय परियोजना में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

4. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रूपये 76,20,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —31

1. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में नवीन एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में नवीन बांध एवं स्टापडेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला बलौदा बाजार में एक भी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) नवीन वृहद परियोजनाओं के सर्वेक्षण का प्रावधान नहीं है।
- (3) बोधघाट वृहद परियोजना हेतु संभावित राशि का उल्लेख नहीं है।



मांग संख्या— 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 44,02,59,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 22

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खोखरा से पुटपुरा मार्ग नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बनारी से पुटपुरा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के केरा रोड के ग्राम जगमहंत से महंत तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के नैला से ग्राम खैरा तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (5) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरखो मेन रोड से तेंदूभाठा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (6) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रोगदा से होते हुए धारा शिव (रोगदा मार्ग दहिदा नवीनीकरण) का उल्लेख नहीं है।
- (7) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के केरा रोड से पचेड़ा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (8) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के गाम खैरताल से बरगांव मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (9) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगांव से किरीत मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों निर्माण व मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवारों के घर-बाड़ी हेतु जमीन देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि नहीं है।
- (5) ग्रामीण आवास के अधिकार का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम सड़क योजना के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

- (7) मनरेगा का विस्तार न ही मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलने पर मना नहीं का उल्लेख नहीं है।
- (8) गांव-गंगा योजना के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।
- (9) जवाहर सेतु योजना पर राशि नहीं है।
- (10) प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन 70 लाख की राशि नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली विधानसभा में गौरव पथ निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मुंगेली विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास राहरी/ग्रामीण का उल्लेख नहीं है।
- (3) मुंगेली विधानसभा में नवीन मुख्य मैत्री सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (4) मुंगेली विधानसभा में समग्र विकास योजना में नव निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर में कुवापाली और खम्हार डीह के बीच डब्ल्यू बी एम सड़क में पुलिया निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में परसदा तिफरा से बोदरी पानी टंकी तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में बुदेला से झाल पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में चकरभाठा बिल्हा मार्ग से इंद्रपुरी होते हुए नेशनल हाइवे तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है।
- (5) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में गुढीपार अंतर्गत एनएच मुख्य मार्ग से बांधा तालाब तक पहुंच मार्ग हेतु निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में मंगला से चतुर्भुज मंदिर तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में पथरिया भचुय मार्ग से लोहद पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में पीपरलोड से छिन्हापुर पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम पीपरलोड से बावली पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

- (10) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में हथकेश से कचारबोड़ पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम चंदली से झुलनाकला पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली ग्राम उमरिया से पकरिया पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (13) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम लगती से बारीन पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (14) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम ककेड़ी से रामबोड़ सड़क पहुंच मार्ग (मरम्मत कार्य) हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (15) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम रोहरकला से सिलदहा पहुंच मार्ग के मरम्मत हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (16) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम अण्डा से पेन्डी पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (17) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में धमनी से चकरभाठा बस्ती होते हुये एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (18) विधानसभा बिल्हा के जिला बिलासपुर में मेनरोड से बुन्देला बस्ती तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में पेण्डरवा से नेशनल हाईवे धौरा भाठा तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (20) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में सम्बलपुर से पौसरी पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (21) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में दगौरी भोजपुरी मेनरोड डोकलापार से बसन्ती पाला तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (22) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में कडार मुख्य मार्ग से भाठापारा तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (23) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में चकरभाठा बिल्हा मेनरोड से रहंगी जोगीपुर हिरी माइन्स एन.एच. तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (24) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में चकरभाठा बरतोरी मार्ग दुर्गा मन्दिर से भाठापारा कडार बस्ती तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (25) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में फदहा से बोहारडीह तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (26) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी.रोड सड़क सह नाली निर्माण मुख्य मार्ग से बांधा तालाब तक निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (27) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण मुख्य मार्ग से कोदा निषाद के घर के आगे एवं धान खरीदी के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (28) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण मुख्य मार्ग से बस्ती तक के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

- (29) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण हाईस्कूल के सामने गली निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (30) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (31) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सड़क सह नाली निर्माण सत्तु के घर से शित मन्दिर तक के निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (32) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण विद्युत उपकेन्द्र से बस्ती तक निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (33) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में सी.सी. रोड सड़क सह नाली निर्माण सल्फा मार्ग से भखरीडीह के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (34) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में मुक्तिधाम (हिन्दू) तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (35) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में मुख्यमार्ग से गजराज डबरी तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (36) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायत भखरीडीह तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (37) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में मुख्य मार्ग से गोवर्धन के खेत तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (38) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में अटल चौक से जोता सरहद तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (39) सीसी रोड सड़क सह नाली निर्माण चकरभाव बिल्हा मेनरोड से इन्दपुरी बस्ती तक निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (40) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में सी सी रोड सड़क सह नाली निर्माण आंगनबाड़ी केन्द्रक-2 पत्थरखान से सुकृत के खेत तक के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (41) विधानसभा बिल्हा, जिला बिलासपुर में सी सी रोड सड़क सह नाली निर्माण बरतौरी मुख्यमार्ग से मेलूराम घर तक के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (42) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर सी सी रोड सड़क सह नाली निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (43) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर सी सी रोड सह नाली निर्माण कडार मुख्य मार्ग से लाला वर्मा के घर तक भाठापारा के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (44) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में सी सी रोड सड़क सह नाली निर्माण मेनरोड से बस्ती तक के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (45) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में सी सी रोड सड़क सह नाली निर्माण आवास मोहल्ला भाग-2 के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (46) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में गोहतरा से खपरी तक पहुच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (47) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में बिल्हा मेनरोड से जोगीदीप नाला होते हुये प्रताप सायकल स्टोर तक पहुच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

- (48) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में देवकिरारी मेनरोड से पत्थरथान स्कूल तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (49) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम अण्डा से दौना पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (50) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम हथ केरा कचरबोड़ पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (51) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली ग्राम केवईया से परसदा पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (52) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम हरदी से कितना पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (53) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम मचहा से लमती पहुंच मार्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (54) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में ग्राम बदरा से दौना पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (55) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में नयाारा से रापाझोरी पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (56) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में हरदी से भठली पहुंच मार्ग पुल-पुलिया सहित के निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (57) विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर में सेवार बंजारी मंदिर से भटगांव बासपास एन.एच. आई. मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (58) विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में छिन्दभाग से ढोढ़ापुर होते हुए मोहभठ्ठा पहुंच मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (59) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में कदहा से सारधा पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (60) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में नगपुरा से उनहा पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (61) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में सेवती से बोहारडीह तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (62) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर डोकहाडीह से ताला तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (63) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में करही से सोनपुरी तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (64) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में पडहवा तालाब से बंधवा तालाब तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (65) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में गुमा मुख्य मार्ग से सेवती तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (66) विधानसभा बिल्हा जिला बिलासपुर में रामसागर तालाब से गुमा रोड तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में गांव गंगा योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा विधानसभा के सिमगा से करहुल डामरीकरण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु बजट में योजना का प्रावधान नहीं है।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधानसभा के मंगला लोधीपारा (सरकंडा) कोनीमार्ग के अरपा नदी पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधानसभा के कोनी बिलासाताल देवनगर से बिरकोना तक पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (3) बेलतरा विधानसभा के ग्राम अकलतरा से नेपसा तक पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (4) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत खमतराई मुरुम खदान स्कूल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोपका के विवेकानंद नगर फेस 1 में गौरव पथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत गढ़वत हिंछाराम के घर से लालसाय तालाब तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मंगला गंगानगर फेस 2 वार्ड क्रमांक 12 में गौरव पथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बैमा स्कूल चौक से रमाकांत पाण्डेय के घर तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कोनी मेन रोड से लेकर दैहानपारा तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कर्रा रैनपुर में शिवरतन के घर मेनरोड तक गौरव पथ का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोपका गुलाब नगर में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मंगला में सलाम के घर से सेन्ट्री के घर तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बेलतरा व पौंसरा को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बैमा स्कूल चौक के पास गौरवपथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (15) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पौंसरा में गौरव पथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (16) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बेलतरा व पौंसरा को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों के निर्माण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कोड़ेगांव (रैययत) से आरेकोन्हा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (3) उरपुटी से कलारबाहरा से बरबांधा पहुंच मार्ग में सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (4) झुरानवागांव से बोदाछापर केनाल रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) छाती से बोदाछापर केनाल रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) विश्रामपुरी से तुमाबुजुर्ग सड़क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) बरारी से रूद्री पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) कोड़ेगांव रैययत से सटियारा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) तिर्र से कोलियारी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) बाजारपारा से बड़ेपारा अकलाडोंगरी पहुंच मार्ग का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) देमार से उसलापुर पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) सम्बलपुर से परेवाडीह पहुंच मार्ग (नहर निर्माण) का उल्लेख नहीं है।
- (13) भोथापारा से उरपुरी से कांदली पहुंच मार्ग के सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 32,35,17,54,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 22

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) महिला जागृति शिविर हेतु बजट आवंटन में कमी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण का प्रावधान कम है।
- (3) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय कम है।
- (4) ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु अपर्याप्त राशि है।
- (5) सुघड़ सहारा योजना के लिये प्रावधानिक बजट में कमी है।
- (6) शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए बजट प्रावधान कम है।

2. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के तालाबों के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिये आवश्यक वित्तीय प्रबंध नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में जलाशयों के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पंचायती राज में प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पंचायतों को समय पर राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायतों को एक करोड़ देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) त्रिस्तरीय पंचायती राज को पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) पंचायतों के बिजली बिल भुगतान का उल्लेख नहीं है।
- (7) पंचायतों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।